न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई.ए.एस

प्रकरण संख्या **15/2018 अपील रसद**

श्री तेजराम पिता वगता डांगी, उचित मुल्य दुकानदार कच्छेर, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....अपीलार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध आदेश कार्यालय जिला रसद अधिकारी, द्वितीय, उदयपुर मुकदमा नम्बर 203/16 रसद तारीख फैसल 21.05.18 अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

उपस्थितः— श्री भीमराज पटेल, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री विजयसिंह, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक—12.12.18

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा एक अपील अन्तर्गत क्लॉज 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 08.11.16 को जयपुर मे खाद्य विभाग की आयोजित बैठक में उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर बताया गया कि तेजराम डांगी उचित मूल्य दुकानदार कच्छेर द्वारा एक ही आधार कार्ड से अलग अलग राशनकार्ड में सीडिंग का माह दिसम्बर 2015 से अगस्त 2016 तक राशन सामग्री वितरण की गई तथा विभाग की उक्त सूचना से पाया कि दुकानदार के स्वयं के आधार कार्ड एवं अन्य आधारकार्ड से गेहूँ, चीनी व केरोसीन का उठाव उपभोक्ता को गलत तरीके से करने का आरोप लगाकर उक्त आधार

पर उचित मुल्य दुकान कच्छेर के डीलर तेजराम का अनुज्ञापत्र निलम्बित कर दिया जाकर डीलर से जवाब मांगा गया तो विस्तृत जवाब रिजर्व रखते हुए अपना जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें यह बताया गया की राशनकार्डधारियों ने उक्त वर्णित अवधि में राशन सामग्री गेहूॅ, चीनी व केरोसीन प्राप्त की गई हैं तथा राशनकार्डधारियो के लिखित बयान भी प्रस्तुत किये गये हैं। रसद विभाग की जॉच में सामग्री उपभोक्ता द्वारा प्राप्त होना पाया गया हैं। फिर भी रसद अधिकारी द्वारा प्राधिकार पत्र का उल्लंघन मानते हुए अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त कर प्रतिभूति राशि जब्त किये जाने के आदेश दिये गये। अधिनस्थ न्यायालय का आदेश न्याय एवं विधि के विपरीत होकर निरस्त होने योग्य हैं। अपीलान्ट द्वारा ना तो राशन सामग्री का गलत वितरण किया गया है ना ही किसी तरह से गबन ही किया हैं। नाही ऐसा कोई अपीलार्थी का इरादा रहा हैं। अपीलार्थी की कोई शिकायत भी किसी उपभोक्ता द्वारा नहीं की गई। जॉच में भी सभी उपभोक्ताओ द्वारा अपने बयानो में विधिवत राशन सामग्री प्राप्त किया जाना स्वीकार किया हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एक ही आधार कार्ड को विभिन्न राशनकार्डो से लिंक कर राशन सामग्री का वितरण कर देने के कारण अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र निरस्त कर दिया हैं। जबकि गॉव में नेटवर्क कम आने के कारण व उपभोक्ताओ के अंगुठे पोस मशीन पर बार बार नहीं मिलने के कारण व उपभोक्ताओ के प्रार्थना पत्र पर राशन सामग्री का वितरण किया गया जिसे तकनीकि रूप से अनियमितता मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया है जो काबिल निरस्त के हैं। राज्य सरकार द्वारा भी समय समय पर जारी सर्क्युलर से निर्देश दिये गये जिसमें छोटी मोटी व तकनीकि गलतियॉ नजरअंदाज कर राशन डीलर को राशन सामग्री के वितरण में सहयोग करने के निर्देश दिये गये। जिन्हे भी विभाग द्वारा अनदेखा किया जाकर तकनीकि आधार पर राशन सामग्री का गलत वितरण बताकर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया जो कानुनन गलत हैं। अतः अपील

अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र पुनः बहाल किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। विपक्षी द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं कर प्रकरण में सीधे ही बहस की गई।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र इस आधार पर खारीज कर दिया कि अपीलार्थी द्वारा एक ही आधार कार्ड से अलग अलग राशनकार्ड में सीडिंग कर माह दिसम्बर 2015 से अगस्त 2016 तक की राशन सामग्री वितरण की गई। जॉच में पाया कि स्वयं के आधार कार्ड व अन्य आधार कार्ड से गेहूॅ चीनी व केरोसीन का उठाव (वितरण) उपभोक्ताओ को गलत तरीके से करने का आरोप लगाया गया जबकि अपीलार्थी द्वारा सभी उपभोक्ताओ को विधिवत व नियमानुसार गेहूॅ चीनी व केरोसीन का वितरण किया गया है तथा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा भी उपभोक्ताओ के बयान लिये गये जिसमें उपभोक्ताओ द्वारा राशन सामग्री प्राप्त होना अपने बयानो में कथन किया हैं लेकिन प्रवर्तन निरीक्षक ने विधिवत सामग्री का नहीं होना बताकर प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 व 17 सी का उल्लंघन मानकर गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं। गॉव में नेटवर्क कम आने के कारण व उपभोक्ताओ के अंगूठे पोस मशीन पर बार बार नहीं मिलने के कारण व उपभोक्ताओ की प्रार्थना पत्र पर राशन सामग्री का वितरण किया गया। जिसे तकनीकि रूप से अनियमितता मानकर प्राधिकार पत्र निरस्त कर दिया हैं। जबकि जॉच में सभी उपभोक्ताओ द्वारा राशन सामग्री प्राप्त किया जाना अपने बयानो में बताया गया हैं। अतः गलत रिपोर्ट के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जिसे पुनः बहाल किया जाकर अपीलार्थी को वितरण व्यवस्था प्रदान की जावें।

विद्ववान अधिवक्ता पैरोकार सरकार द्वारा अपीलान्ट के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया गया कि खाद्य एवं नागरीक आपूर्ति विभाग राजस्थान जयपुर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार श्री तेजराम डांगी उचित मुल्य दुकान कच्छेर ने एक ही आधार नम्बर पर अलग अलग सात राशनकार्डो पर खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। जिसके संबंध में विस्तृत जॉच की गई। जॉच में पाया गया कि कुल 18 राशनकार्डो पर एक ही आधार नम्बर से खाद्य सामग्री का उठाव कर 339 किलो गेहूॅ 54.65 किलो चीनी तथा 44 लीटर केरासीन का गबन किया गया हैं। इस संबंध में पुलिस थाना खेरोदा में अपीलार्थी के विरूद्ध प्राथमिक दर्ज करवायी गई। थानाधिकारी द्वारा भी विस्तृत जॉच कर अपीलार्थी को एक ही आधार कार्ड नम्बर को पोस मशीन से लिंक करने के पश्चात् पोस मशीन पर स्वयं का अंगूठा निशान लगाकर खाद्य सामग्री का अवैध उठाव कर दुरूपयोग किया जाना पाये जाने से चार्जशीट नम्बर 47/17 दिनांक 30.04.17 प्रकरण संख्या 23/17 धारा 3/7 ईसीएक्ट के तहत चार्जशीट सक्षम न्यायालय में पेश की गई हैं। पुलिस अनुसंधान अधिकारी द्वारा भी अपीलार्थी को दोषी पाया गया हैं। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का अनुज्ञापत्र काननु सम्मत खारीज किया गया है। अतः अपील अपीलार्थी खारीज फरमायी जावें।

प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अपीलार्थी द्वारा राशन सामग्री का वितरण उचित मुल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ताओ के राशनकार्ड में अंकित सदस्यो के आधार कार्ड संख्या को पोस मशीन से लिंक करने के पश्चात किया जाना था। लेकिन उचित मुल्य दुकानदार द्वारा ऐसा नहीं कर स्वयं का पोस मशीन पर अंगुठा निशान लगाकर आधार कार्ड नम्बर 963078890286 से मिलान कर उपभोक्ताओ को सामग्री का वितरण किया गया हैं। इस प्रकार राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के बिन्दु संख्या 11 का स्पष्ट उल्लंघन

किये जाने से थानाधिकारी द्वारा भी चालान सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। इसी के तहत अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र खारीज किया हैं। जो न्यायोचित हैं।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय का यह मत है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र विधिवत खारीज किया गया हैं। प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने मे किसी प्रकार से कानुनो का उल्लंघन नहीं किया गया हैं। जिससे अधिनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाईश नहीं हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारीज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश बहाल रखा जाता हैं।

निर्णय की प्रति मय अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर
उदयपुर